तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6232/2015/अलवर** **बने सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अजयपाल डिढारिया, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री शांति प्रकाश ओझा, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 15.05.2026

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, अलवर की अपील सं0 02/2025 में पारित आदेश दिनांक 31–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस में कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी पर से आने–जाने के लिए प्रार्थी रास्ते का हमेशा से ही उपयोग–उपभोग आदिनांक तक निरन्तर करता आ रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। जिसे वह स्वीकृत करवाने का पूर्ण अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर जानबूझकर अविधिक निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी गै0मु0 चारागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा ऐसी सार्वजनिक भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी देना व किस्म परिवर्तन भी वर्जित है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी कतई नहीं मांगी जा रही है, बल्कि केवल मात्र उपयोग में लिए जा रहे रास्ते को स्वीकृत करने की रिलीफ चाही गयी है। सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तित की जा सकती है तथा उसकी किस्म परिवर्तन कर सार्वजनिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6232/2015/अलवर** **बने सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपयोग की रास्ता भूमि दर्ज की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया था क्योंकि विवादित भूमि की किस्म चारागाह होने से केवल मात्र उनको ही किस्म परिवर्तन का अधिकार था तथा केवल मात्र उनके द्वारा ही चारागाह भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता था किन्तु क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य आने पर उक्त पत्रावली जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अलवर के समक्ष निस्तारण हेतु भेजी गयी थी जिससे स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा स्वयं में निहित शक्तियों को उपखण्ड अधिकारी को दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य बिन्दु को छोड़कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने में विधिक भूल कारित की है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत में बने रिहायशी मकानात में आने–जाने के लिए एकमात्र रास्ता खसरा नं0 63 जो कि सरकारी जमीन है व सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है में से होकर जारी है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास आने–जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए. के प्रावधानों की पालना करने को भी तैयार है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी स्वयं द्वारा पूर्व में हुये निर्णय का हवाला दिया गया तथा स्पष्ट कर दिया गया कि किस्म परिवर्तन करने का अधिकार केवल मात्र विचारण न्यायालय को होने से बिना किसी विलम्ब से यह कार्यवाही की जा रही है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से निर्णय पारित किया गया है।

अतः प्रार्थी की निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2015 को निरस्त करते हुए आराजी खसरा नं0 63 वाके ग्राम कैरवाडा, तहसील व जिला अलवर में संलग्न नक्शा में दर्शित बरंग सुर्ख रास्ता 30 फुट चौड़ा पूर्व से पश्चिम जो कि प्रार्थीगण की आराजीयात 303, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 313 व 314 कुल किता 9 कुल रकबा 1.49 है0 ग्राम कैरवाडा व उसमें बने मकानात में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, को राजस्व अभिलेख में कायम किया जावे।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में तर्क दिये है कि वादग्रस्त आराजी चारागाह भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6232/2015/अलवर** **बने सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 31–08–2015 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया है जो उचित एवं विधिसम्मत् है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावे।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गयी बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन तथा परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत किया गया। ग्राम कैरवाडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में दर्ज आराजी हाल खसरा नं0 303, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 313 व 314 कुल किता 9 कुल रकबा 1.49 है0 आराजीयात प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी है। जिसमें रिहायशी मकानात भी बने हुए है। प्रार्थी सं0 1 का उक्त आराजीयात में 1/7 हिस्सा, प्रार्थिया सं0 2 का 1/7 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 का 1/7, प्रार्थिया सं0 4 का 1/7, प्रार्थी सं0 5 का 1/7, प्रार्थी सं0 6 का 1/7, व प्रार्थी सं0 7 ल0 12 का 1/7 हिस्सा है। उक्त आराजीयात व उसमें बने रिहायशी मकानात में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा नं0 63, जो सरकारी जमीन है व सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से उक्त रास्ता कायम कराने व कागजात माल में रास्ते का अमल कराने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, मालाखेड़ा की रिपोर्ट ली गई। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–08–2015 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

7– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में माना है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी आराजी है व सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, अलवर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र सं0 1/105/2014 पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03–03–2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6232/2015/अलवर** **बने सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये रास्ते के अतिरिक्त आने–जाने का रास्ता मौके पर है एवं विवादित भूमि गै0मु0 चारागाह भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ऐसी सार्वजनिक भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी देना अथवा व्यक्तिगत उपयोग हेतु रास्ता दिया जाना वर्जित है। यहां उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता प्रार्थी को सहायक कलेक्टर, अलवर के निर्णय के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 03–03–2015 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं करते हुए पुनः नये सिरे से एक प्रार्थना पत्र 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही प्रस्तुत कर दिया गया जो कि विधिक प्रावधानों के अनुरूप पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। सहायक कलेक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 03–03–2015 के विधिक प्रावधानों के अनुरूप सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र थे। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायहित में ग्राह्यता पर ही सारहीन होकर खारिज योग्य पायी जाती है।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी सारहीन व बलहीन होने से ग्राह्यता पर ही **खारिज** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2015 को बदस्तुर बहाल रखा जाता है।

9– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य